बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 374324 पटना, दिनांक- 12-06-2018

ग्रा0वि0 07(विविध)-11/2014

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यो के कार्यान्वयन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार मनरेगा अधिनियम के अनुसूची-I की कंडिका 4(IV) का iv तथा मनरेगा दिशा-निर्देश 2013 (चौथा संस्करण) की कंडिका 7.1.3 (7) में आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यो के संबंध में प्रावधान किया गया है ।

विदित हो कि राज्य के कई जिले विशेष रूप से उत्तर बिहार के ज़िले, जुलाई से सितम्बर माह तक प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहते है । पिछले वर्ष भी जुलाई-अगस्त माह में बिहार के 18 जिले बाढ़ से काफी प्रभावित हुए थे । उक्त संदर्भ में यह आवश्यक है कि बाढ़ की विभिषिका को कम करने हेतु पूर्व से ही कार्य योजना तैयार कर ली जाय, ताकि जान-माल का कम-से-कम नुकसान हो । मनरेगा अंतर्गत कई ऐसे कार्य है, जो बाढ़ नियंत्रण हेतु उपयोगी है जहाँ मुख्य रूप से निम्न कार्यों का कार्यान्वयन मनरेगा से कराया जा सकता है :-

1. तटबंध को सुदृढ़ बनाना,
2. जलभराव से ग्रस्त इलाकों से जल निकास मार्ग,
3. बाढ़ नालों को गहरा करना और मरम्मत करना,
4. चौर नवीकरण,
5. क्रॉस बाँध आदि ।

उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीणों के सहयोग से स्थानों को चिन्हित कर लिया जाय । कार्यो को विशेष ग्राम सभा आयोजित कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय (वार्षिक कार्य योजना में अगर शामिल नहीं हो) तथा आपदा प्रबंधन विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों के सहयोग से प्राक्कलन तैयार करने की कारवाई की जाय ताकि उपयोगी परिसम्पत्ति सृजन किया जा सके ।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन

12/6

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव